

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (गृह मंत्रालय) के अधीनस्थ अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों पर राजभाषा निरीक्षण संबंधी जाँच बिन्दुओं का प्रपत्र ।

1.	अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन का नाम	
2.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	
3.	अन्य अधिकारी ( यदि कोई हो तो ) का नाम व पदनाम जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया	
4.	निरीक्षण की तारीख	
5.	अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन के प्रभारी का नाम व पदनाम	

**निरीक्षण से संबंधित जाँच सूची**

क्र. सं.	जाँच बिन्दु	विस्तृत रिपोर्ट	अभियुक्तियाँ
1.	पिछले राजभाषाई निरीक्षण की तिथि एवं निरीक्षण दौरान पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई अथवा नहीं ?		
2.	स्टेशन में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों ने हिंदी प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो उनके प्रशिक्षण के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?		
3.	संसदीय राजभाषा समिति को निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर क्या कोई कार्रवाई लम्बित है ? यदि हाँ तो उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?		
4.	स्टेशन में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं तो उनके अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?		

क्र. सं.	जाँच बिन्दु	विस्तृत रिपोर्ट (*)	अभियुक्त याँ
5.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं तो इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराएं ?		
6.	क्या स्टेशन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है अथवा नहीं ?		
7.	राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत स्टेशन के प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं अथवा नहीं ?		
8.	स्टेशन के प्रयोग में आने वाली नियमावली, मैनुअल एवं स्थायी आदेश इत्यादि द्विभाषी रूप में उपलब्ध है अथवा नहीं ?		
9.	स्टेशन में उपलब्ध सभी फाइलों, रजिस्ट्रों पर विषय/शीर्ष तथा नामपट्ट/ बोर्ड व रबड़ की मोहरें द्विभाषी हैं अथवा नहीं ? "ग" क्षेत्र में जनता को सूचित करने वाले सूचना बोर्डों की स्थिति क्या है ?		
10.	क्या स्टेशन में उपलब्ध रजिस्ट्रों व भंडार लेजरो में यथासंभव प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाती हैं अथवा नहीं ?		
11.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं अथवा नहीं ?		
12.	स्टेशन ने राजभाषा विभाग द्वारा 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं ?		

क्र. सं.	जाँच बिन्दु	विस्तृत रिपोर्ट (*)	अभियुक्तियाँ
13.	क्या हिंदी में बेतार संदेशों को भेजने के लिए फैक्स/सैकफैक्स संचार प्रणाली का प्रयोग किया है अथवा नहीं ?		
14.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफे पर पते हिंदी में लिखे जाते हैं अथवा नहीं ?		
15.	स्टेशन में कार्मिक डायरी, रजिस्टर व बेतार लॉग इत्यादि हिंदी में भरते हैं अथवा नहीं ?		
16.	स्टेशन में ऐसे कितने कार्मिक हैं जो अपना सरकारी कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में करते हैं ?		
17.	स्टेशन में ऐसे कितने कार्मिक हैं जिन्हें हिंदी (लिखने/पढ़ने/बोलने) का ज्ञान नहीं है ?		
18.	स्टेशन में प्रयोग होने वाले टाइपराइटर कंप्यूटर, इ.टी.पी., फैक्स, सैकफैक्स आदि उपकरण द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?		
19.	कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गई है ?		
20.	स्टेशन में निर्धारित फार्म द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?		
21.	स्टेशन में हिंदी की पत्र - पत्रिकाओं को मंगाने की स्थिति क्या है ?		
22.	स्टेशन पर विभिन्न रोचक विषयों पर हिंदी पुस्तकें, शब्दकोश अन्य तकनीकी शब्दावलियाँ एवं सहायक साहित्य उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?		
23.	स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं अथवा नहीं ?		

क्र. सं.	जाँच बिन्दु	विस्तृत रिपोर्ट (*)	अभियुक्तियाँ
24.	स्टेशन में राजभाषा नीति संबंधी जानकारी देने एवं हिंदी में कार्य करने में आने कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन की स्थिति क्या है ?		
25.	स्टेशन की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट क्या समय पर मुख्यालय को भेजी जाती है ?		
26.	स्टेशन द्वारा क्या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण की गई है या नहीं ?		
27.	स्टेशन प्रभारी द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित हिंदी की किसी अन्य हिंदी संस्थान की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया जाता है अथवा नहीं ?		
28.	मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों अथवा विषय विशेष से संबंधित अधिकारियों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान स्टेशन पर अन्वयन रूप से निरीक्षण जैसे प्रशासनिक, लेखा संबंधी, तकनीकी या राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए हैं अथवा नहीं ? क्या सभी प्रकार के निरीक्षणों की रिपोर्ट द्विभाषी रूप या हिंदी में स्टेशन में भेजी गई अथवा नहीं ?		
29.	मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टेशन पर अन्य निरीक्षणों के साथ - साथ राजभाषाई निरीक्षण किया जाता है अथवा नहीं ? क्या निरीक्षण रिपोर्ट द्विभाषी रूप में या हिंदी में स्टेशन में भेजी गई अथवा नहीं ?		
30.	क्या गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कभी स्टेशन पर राजभाषाई निरीक्षण किया गया है ?		

क्र. सं.	जाँच बिन्दु	विस्तृत रिपोर्ट (•)	अभियुक्तियाँ
31.	हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले कर्मिकों द्वारा स्टेशन में उपलब्ध रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जाती हैं तथा स्टेशन प्रभारी द्वारा उन पर नियमित रूप से प्रतिहस्ताक्षर किए जाते हैं अथवा नहीं ?		
32.	स्टेशन पर 14 सितम्बर के उपलक्ष्य में पखवाड़ा /माह का आयोजन किया जाता है अथवा नहीं ?		
33.	स्टेशन पर अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेशन प्रभारी द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं अथवा नहीं ?		
34.	हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने के लिए स्टेशन प्रभारी द्वारा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं अथवा नहीं ?		
35.	स्टेशन पर राजभाषा कार्यान्वयन स्थिति की मानिट्रिंग करने के लिए जाँच बिन्दु बनाए गए हैं अथवा नहीं ?		

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु / टिप्पणी :

टिप्पणी (•) स्थानाभाव की स्थिति में, जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त पृष्ठ लगाए जा सकते हैं ।

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम व रबड़ की मोहर

समन्वय निदेशालय पुलिस बतार (गृह मंत्रालय) के अधीनस्थ  
अंतर राज्य पुलिस बतार स्टेशनों पर राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली ।

1.	अंतर राज्य पुलिस बतार स्टेशन का नाम	
2.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	
3.	अन्य अधिकारी ( यदि कोई हो तो ) का नाम व पदनाम जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया	
4.	निरीक्षण की तारीख	
5.	अंतर राज्य पुलिस बतार स्टेशन के प्रभारी का नाम व पदनाम	
6.	पिछले राजभाषा निरीक्षण की तारीख	
(क)		
(ख)	पिछले निरीक्षण में पाई गई कमियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई एवं उन मद्दों का ब्यौरा जिन पर कार्रवाई अभी पूरी नहीं की गई है	
7.	राजभाषा नियम , 1976 के अनुसार स्टेशन किस क्षेत्र ('क' 'ख' या 'ग') में स्थित है ?	
8.	क्या कार्यालय उक्त नियमों के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है ? यदि हाँ, तो कब से....	
9.	यदि अधिसूचित है तो क्या नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं ? यदि हाँ तो कब से ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?	
10.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए पिछले	
(क)	निरीक्षण/निरीक्षणों की तारीख/तारीखें	
(ख)	पिछले निरीक्षण में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	

11.	स्टेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का विवरण (31 मार्च /30 जून/30 सितम्बर अथवा 31 दिसम्बर, जो भी लागू हो की स्थिति बताई जाए )
-----	--

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्व श्री/श्रीमती	शैक्षिक योग्यता	हिंदी का ज्ञान किस कक्षा तक प्राप्त किया है ।	कक्षा 10वीं में शिक्षा का माध्यम	अभियुक्ति (कार्यसाधक ज्ञान/ प्रवीणता प्राप्त)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

12.	हिंदी जानने वाले उन कर्मचारियों की संख्या जो अपना काम हिंदी में करते हैं , जैसे टिप्पण, मसौदा लेखन, रजिस्टर /डायरी भरना, मौखिक चर्चा आदि		
		राजपत्रित	अराजपत्रित
(1)	नहीं करते		
(2)	25 प्रतिशत तक करते हैं		
(3)	25 से 75 प्रतिशत तक करते हैं		
(4)	75 प्रतिशत से अधिक करते हैं		

13.	यांत्रिक सुविधाएं					
(क)		कुल संख्या	रोमन	देवनागरी	द्विभाषी	हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता
(1)	मैन्युअल टाइपराइटर					
(2)	इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर					
(3)	कंप्यूटर					
(3)	फैक्स					
(4)	सेक्फैक्स					
(5)	अन्य					
(ख)	स्टेशन में उपलब्ध कंप्यूटरों में हिंदी साफ्टवेयर का नाम					
(ग)	कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या					
(घ)	कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने वाले कार्मिकों की संख्या					

14.	शब्दकोश/शब्दावली/सहायक साहित्य					
		कुल संख्या	वितरण			
			कार्यालय	संचार केंद्र	प्रसारण केंद्र	बीजलेख केंद्र
(क)	शब्दकोश (अंग्रेजी -हिंदी) (हिंदी -हिंदी- अंग्रेजी)					
(ख)	तकनीकी शब्दावलियाँ					
(ग)	हिंदी की पुस्तकें					
(घ)	अन्य सहायक साहित्य					



15.	स्टेशन द्वारा निर्धारित प्रयोग में लाए जाने वाले फार्म			
	कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	द्विभाषी

16.	स्टेशन में प्रयोग किए जा रहे रजिस्टर / भंडार लेजर			
	कुल रजिस्टर/भंडार लेजर	जिनके शीर्षक तथा शीर्ष नाम द्विभाषी हैं	जिनमें प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाती हैं	यदि सभी में प्रविष्टियाँ हिंदी में नहीं की जाती तो इसका कारण

17.	स्टेशन में प्रयोग की जा रही फाइलें		
	कुल फाइलें	जिनके विषय द्विभाषी लिखे हैं	जिनमें पत्राचार हिंदी में किया जाता है

18.	स्टेशन में उपलब्ध रबड़ की मोहरों तथा अन्य सामग्री का विवरण					
		कुल	हिंदी में	अंग्रेजी में	हिंदी- अंग्रेजी में	हिंदी - अंग्रेजी तथा अन्य भाषा में
(क)	रबड़ की मोहरें					
(ख)	नामपट्ट					
(ग)	साइनबोर्ड					
(घ)	सील					
(ङ.)	पत्र-शीर्ष					
(च)	वाहनों पर स्टेशन का विवरण					
(छ)	विजिटिंग कार्ड					

19.	स्टेशन में कुल प्राप्त पत्र (31 मार्च /30 जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर को समाप्त पिछले छह माह के आँकड़े दिए जाएँ )					
	हिंदी में प्राप्त पत्र या जिन पर हिंदी में हस्ताक्षर थे			अंग्रेजी में प्राप्त पत्र		
	'क' क्षेत्र से	'ख' क्षेत्र से	'ग' क्षेत्र से	'क' क्षेत्र से	'ख' क्षेत्र से	'ग' क्षेत्र से
1.	प्राप्त पत्रों की संख्या					
2.	जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए					
3.	जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए					
4.	जिनके उत्तर देने अपेक्षित नहीं थे					
(ख)	हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में न दिए जाने का कारण					

20.	स्टेशन द्वारा अपनी ओर से लिखे गए पत्र ((31 मार्च /30 जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान भेजे गए )				
		कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में	द्विभाषी
(क)	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/मुख्यालय व अन्य स्टेशनों/कार्यालयों को भेजे गए पत्र				
(ख)	'क' और 'ख' क्षेत्र में राज्य सरकारों और गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र				
(ग)	'ग' क्षेत्र में अन्य स्टेशनों /कार्यालयों को भेजे गए पत्र				

21.	स्टेशन द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी कागजात (31 मार्च/ 30 जून/30 सितम्बर/31दिसम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान जारी कागज-पत्रों का विवरण)				
		कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में	द्विभाषी
(क)	सामान्य आदेश				
(ख)	अधिसूचनाएँ				
(ग)	प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पणियाँ				
(घ)	संविदाएं				
(ङ)	करार				
(च)	लाइसेंस				
(छ)	परमिट				
(ज)	टेंडर के फॉर्म और नोटिस				
(झ)	संकल्प				
(ट)	नियम				
(ठ)	संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र / प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट				
(ड)	प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट)				

22.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के विवरण (पिछले एक वर्ष के दौरान हुई इसकी बैठकों की तारीखें )		
		बैठक की तिथि	महत्त्वपूर्ण निर्णय
(क)	जनवरी से मार्च की तिमाही में		
(ख)	अप्रैल से जून की तिमाही में		
(ग)	जुलाई से सितम्बर की तिमाही में		
(घ)	अक्टूबर से दिसम्बर की तिमाही में		

23. पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्र - पत्रिकाओं व पुस्तकों पर किया गया व्यय		वर्ष	वर्ष	वर्ष
		20..... - 20.....	20..... - 20.....	20..... - 20.....
(क)	कुल व्यय			
(ख)	हिंदी पत्र- पत्रिकाओं पर व्यय की गई कुल तथा कुल व्यय का प्रतिशत			
(ग)	स्टेशन पर मंगाई जाने वाली हिंदी की पत्र - पत्रिकाओं के नाम			

24.	हिंदी में कार्य करने के लिए कठिनाइयों को दूर करने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं के आयोजन की स्थिति		
(क)	स्टेशन पर पिछले एक वर्ष में कितनी हिंदी कार्यशालाएं चलाई गई		
(ख)	इन कार्यशालाओं में कितने अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया		

25.	हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की स्थिति		
(क)	क्या स्टेशन द्वारा वर्ष के दौरान हिंदी दिवस / हिंदी पखवाड़ा / हिंदी माह का आयोजन किया गया। यदि हां तो उसका विवरण दें		
(ख)	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने कार्मिकों ने हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना में भाग लिया		
(ग)	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने कार्मिकों ने निदेशालय द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजना हिंदी टिप्पण, आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया		
(घ)	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने कार्मिकों ने निदेशालय द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत नगद पुरस्कारों का लाभ उठाया		

26.	स्टेशन की राजभाषा संबंधी अन्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ	
(क)	क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हुआ है ?	
(ख)	यदि हां, तो क्या अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन .....उसका सदस्य है ?	
(ग)	क्या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया जाता है ?	
(घ)	क्या राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम आपके स्टेशन में प्राप्त हुआ है ।	
(ङ.)	क्या स्टेशन में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन प्रभारी द्वारा जाँच बिन्दु बनाए गए हैं ।	

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त जानकारी की जाँच कर ली है और यह हर प्रकार से पूरी और सही है ।

स्टेशन प्रभारी के  
हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और मोहर

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और मोहर